फैसले का सार संक्षेप में

नाम न्यायालय:- अति० जिला कलक्टर कोटपूतली

केस संख्या:- 35/2012

7.5.21 - पत्रावली पेश हुई कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अधिवक्ताओं द्वारा स्टेटस का निर्धारण किया है पत्रावली आगे आदेशानुसार दिनांक 4.6.21 को पेश हो।

4.6.21 - पत्रावली पेश हुई कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अधिवक्ताओं जनसुरक्षा लॉकडाउन की पालना में स्टेटस है पत्रावली आगे आदेशानुसार दिनांक 18.6.21 को पेश हो।

18.6.21 - पत्रावली पेश हुई कोविड-19 के चलते मा० उ० न्यायालय के निर्देशानुसार अधिवक्तागण कोर्ट कार्य स्थगित रखा है पत्रावली आगे आदेशानुसार दिनांक 9.7.21 को पेश हो।

9.7.21 - पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली आगे आदेशानुसार पेश होगी मुख्य न्यायाधीश रिजर्व दिनांक 23.7.21 को पेश हो।

23.7.21 - पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता श्री विनोद के पाचा जी का निधन होने पर अभिभाषक संघ द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखा है पत्रावली आगे आदेशानुसार दिनांक 6.8.21 को पेश हो।

6.8.21 - पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली आगे आदेशानुसार दिनांक 13.8.21 को पेश हो।

13.8.21 - पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी अनुपस्थित बार-बार आवाज लगवाई गई आवाज लगाई जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं नहीं उनकी ओर से कोई अन्य उपस्थित आये इसलिए अपील अपीलार्थी अप्रयोजनीय होने के कारण खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्तीकरण होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। इकरार नामे अनुसार सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)